

1998

राजपत्र सं. टी. एल. 33004/98

REGD. NO. D. L. 33004/98



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521]
No. 521]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 1998/पौष 10, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1998/PAUSA 10, 1920

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1998

New Delhi, the 31st December, 1998

सा. का. नि. 786 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के संबलनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 8 और 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 and sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1998 है।

1. (1) These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) (Amendment) Rules, 1998

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 31 में, "पचास हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

2. In rule 31 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, for the words "rupees fifty thousand", the words "rupees one lakh" shall be substituted.

[फा. सं. क्यू-10/32/98-एम.एण्ड.जी.]

[F.No. 10/32/98-M & G]

त्रुटि देव कपूर, विशेष सचिव

R D. KAPUR, Spl. Secy.